

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7(523)परि/नियम/मु./2018 | 9786

जयपुर, दिनांक: 10/05/18

आदेश

ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालकों के प्रशिक्षण हेतु स्थापित प्रशिक्षण केंद्र का प्राधिकार-पत्र

(देखें:- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 8 ए)

मैसर्स ई-रिक्शा वेलफेयर एसोसियेशन, जयपुर पता 27, ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली रोड एन.आई. रोड जयपुर को ई-रिक्शा/ई-कार्ट चालको को केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 8ए में अपेक्षित 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है। यह स्वीकृति मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नवीनतम प्रावधानों एवं विभागीय कार्यालय आदेश 16/2018 दिनांक 09.05.2018 की शर्तों के अधीन होगी। मैसर्स ई-रिक्शा वेलफेयर एसोसियेशन, जयपुर द्वारा राज्य के ई-रिक्शा/ई-कार्ट के चालको हेतु यह प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान करना होगा।



(आर. सी. यार्दव)

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)